

बिहार सरकार

निविदा

संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना का कार्यालय, कृषि (माप-तौल) विभाग,
राजाबाजार, पटना।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निबंधित संवेदको/ख्याति प्राप्त फर्मों/कम्पनियों से निम्नलिखित सामग्रियों (माप-तौल उपकरणों) का क्रय करने हेतु मुहरबंद तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है जो दिनांक 12.03.2018 के अपराहन 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। दिनांक 13.03.2018 को 11.00 बजे पूर्वाहन में तकनीकी निविदा एवं दिनांक 13.03.2018 को वित्तीय निविदा, 4.00 बजे अपराहन में कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति तथा निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष, कृषि निदेशालय, बिहार, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में खोला जायेगा।

100 प्रखण्डों में माप-तौल उपकरणों का स्थापन हेतु उपकरणों की सूची एवं संख्या।

क्रं सं०	उपकरण की सूची	वर्ग/श्रेणी	ईकाई-संख्या (प्रति प्रखण्ड)	कुल संख्या
1	इलेक्ट्रॉनिक तुला क्षमता 100 kg	वर्ग-III	01 अद्द	100 अद्द
2	लौह वाट क्षमता-20 kg	वणिज्यिक	04 अद्द	400 अद्द
3	लौह वाट क्षमता-10 kg	""	01 अद्द	100 अद्द
4	लौह वाट क्षमता-05 kg	""	01 अद्द	100 अद्द
5	लौह वाट क्षमता-02 kg	""	02 अद्द	200 अद्द
6	लौह वाट क्षमता-01kg	""	01 अद्द	100 अद्द
7	लौह वाट क्षमता-500 g	""	01 अद्द	100 अद्द
8	लौह वाट क्षमता-200 g	""	02 अद्द	200 अद्द
9	लौह वाट क्षमता-100 g	""	01 अद्द	100 अद्द
10	लौह वाट क्षमता-50 g	""	01 अद्द	100 अद्द
11	पीतल वाट क्षमता-20 g	""	02 अद्द	200 अद्द
12	पीतल वाट क्षमता-10 g	""	01 अद्द	100 अद्द
13	पीतल वाट क्षमता-05 g	""	01 अद्द	100 अद्द
14	पीतल वाट क्षमता-02g	""	02 अद्द	200 अद्द
15	पीतल वाट क्षमता-01g	""	01 अद्द	100 अद्द
16	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता-02l	""	01 अद्द	100 अद्द
17	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता-01l	""	01 अद्द	100 अद्द
18	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता-500ml	""	01 अद्द	100 अद्द
19	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता-200ml	""	01 अद्द	100 अद्द
20	शंक्वाकार धारिता मापक क्षमता-100ml	""	01 अद्द	100 अद्द
21	बेलनाकार धारिता मापक क्षमता-50ml	""	01 अद्द	100 अद्द
22	बेलनाकार धारिता मापक क्षमता-20ml	""	01 अद्द	100 अद्द
23	डीपींग टाईप वेलनकार धारिता मापक क्षमता-01l	""	01 अद्द	100 अद्द
24	डीपींग टाईप वेलनकार धारिता मापक क्षमता-500ml	""	01 अद्द	100 अद्द
25	डीपींग टाईप वेलनकार धारिता मापक क्षमता-200ml	""	01 अद्द	100 अद्द
26	डीपींग टाईप वेलनकार धारिता मापक क्षमता-100ml	""	01 अद्द	100 अद्द
27	डीपींग टाईप वेलनकार धारिता मापक क्षमता-50ml	""	01 अद्द	100 अद्द
28	डीपींग टाईप वेलनकार धारिता मापक क्षमता-20ml	""	01 अद्द	100 अद्द
29	लम्बाई मापक धातु मीटर -01m (मीटर)	""	01 अद्द	100 अद्द


नोट:-उपरोक्त सभी माप-तौल उपकरणों विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली 2011 एवं विधिक माप विज्ञान (एप्रुभल ऑफ मॉडल) नियमावली 2011 के अनुरूप अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

विशेष शर्तें

1. उपर्युक्त सभी माप-तौल उपकरणों को बिहार राज्य के 100 प्रखण्डों में आपूर्ति एवं स्थापन करना होगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों (माप-तौल उपकरणों) का दर सभी करें सहित अंक एवं अक्षर में प्रविष्ट करना होगा।
3. आपूर्ति किए जाने वाले माप तौल उपकरणों का मॉडल एपरुभल (**Model Approval**) उपभोक्ता मामले विभाग, निदेशक विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त रहना अनिवार्य है।
4. दर प्रत्येक प्रखण्ड स्थल पर सामानों की ढुलाई के साथ प्रविष्ट करना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से निर्गत अद्यतन अनुज्ञप्ति की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण पत्र, जी0 एस0 टी0 प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं सभी अद्यतन कागजात की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न तथा अपना वैद्य दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. आमंत्रित निविदा में दर्शाए गए वाट-माप उपकरणों के आपूर्ति हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कुल अधिकतम मूल्य 25000=00 रु0 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) निर्धारित की गयी है।
8. कार्योपरान्त कार्य की गुणवत्ता की सत्यापनोपरान्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
9. अधोहस्ताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये एक या सभी निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा के साथ अद्यतन आयकर विवरणी देना होगा।
11. भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि की उपलब्धता एवं दर के अनुमोदन के पश्चात ही शुरू होगा।
12. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि 50000/- रु0 होगा, जो बैंक ड्राफ्ट, डाकघर बचत पासबुक या डाकघर में जमा प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्षीय टी0 डी0 अथवा बिहार राज्य अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र या किसान विकास पत्र (यु0 आर. रसीद के साथ) के रूप में देय होगा जो विधिवत् संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना के पदनाम से प्रतिज्ञित होना अनिवार्य है।
13. जिस निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा उन्हें 50000/- रु0 जमानत के रूप में जमा करना होगा।
14. जिस निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा, उनके द्वारा आपूर्ति की गई माप-तौल उपकरणों का रख-रखाव अगले पाँच वर्षों तक सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
15. काली सूची अथवा अपराधिक मामलों से सम्बद्ध नोटरी का शपथ पत्र देना होगा।
16. सूची में संलग्न उपकरण **Arrange Way** में लकड़ी के बक्से में अथवा पेटी में उपलब्ध कराना होगा।
17. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में मान्य होगा जो एक साथ एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में बन्द होगा।

नोट:-क्रमांक 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14 एवं 15 से संबंधित सभी अभिलेख निविदा में उपलब्ध कराना आवश्यक है, अन्यथा निविदा विचारणीय नहीं होगा।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।


11/3/2018
संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक,
माप एवं तौल, बिहार, पटना।